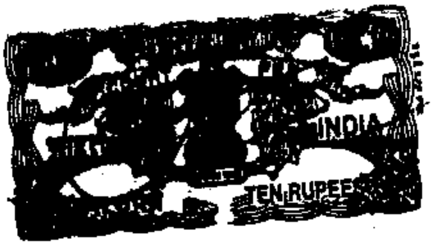 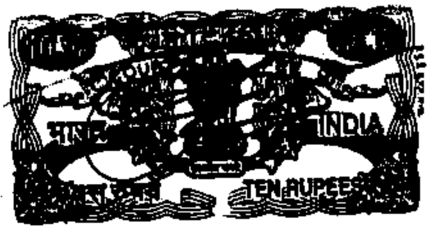

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल (मध्यप्रदेश)

अपील/2764/PBR/15

to Coll

6/8/15

क 6561

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्राप्त

12-8-15

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामप्रसाद मसकोले वल्द स्व0 श्री परमू मसकोले उम्र

लगभग 59 वर्ष, निवासी- ग्राम तालू, तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) ------ अपीलार्थी

बनाम

कमान्डेंट सी.पी.ई. इटारसी, तहसील इटारसी,

जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) ----- उत्तरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 44 (3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि:-

अपीलार्थी यह अपील न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के अपील क्रमांक 79/अपील/2012-2013 जिसमें पक्षकार कमान्डेंट सी.पी.ई. इटारसी विरूद्ध रामप्रसाद में पारित आदेश दिनांक 04.07.2015 से क्षुब्ध एवं दुखित होकर निम्नलिखित आधारो पर यह अपील प्रस्तुत की है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 2764—पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/7/16	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगबाद द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 4—7—2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में संहिता की धारा 44 (3) के अंतर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 (3) के अंतर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	